

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दिनांक-04.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संजीव पुत्र विश्राम निवासी हुसैनपुर तराई थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०स० - 254/2020 वाद संख्या 416/2026 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर अधिनियम कोर्ट द्वारा दिनांक 04.08.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री राजीव कुमार सिंह



को० मो० हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार हे० का० राजेश कुमार